इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017—चैत्र 3, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2017

फा. क्र.1007-2017-इक्कीस-ब-(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में,—

(1) उप नियम (1) में, शब्द और अंक "1 जुलाई, 2006" के स्थान पर, शब्द और अंक " 1 जनवरी, 2006" स्थापित किए जाएं.

(2) उप नियम (2) में,—

(क) खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परंतु वे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 जनवरी, 1996 के पश्चात् तथा 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त या मृत्यु होने के कारण सेवा में नहीं रहे हैं और उनकी वह पेंशन जो मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (2) के खण्ड (एक) के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, दिनांक 1 जनवरी 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी.".

(ख) खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परंतु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 जनवरी, 1996 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन जो मध्यप्रदेश न्यायकि सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (2) के खण्ड (दो) के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, के संबंध में पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण परिवार पेंशन को दिनांक 1 जनवरी 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित किया जाएगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी.".

F. No.-1007-XXI-B (1)-2017.—.In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 11,—

(1) in sub-rule (1), for the words and figures "from 1st July, 2006", the words and figures "From 1st January, 2006" shall be substituted.

(2) in sub-rule (2),—

(a) after clause (i), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the Judicial Officers who have ceased to be in service due to death or retirement after 1st January, 1996 and prior to 1st January, 2006, their pension which has been revised in accordance with clause (i) of sub-rule (2) of rule 11 of the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010, shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st january 2006 which shall not be less than 50% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.".

(b) after clause (ii), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that such Judicial Officers who retired after 1st January, 1996 and prior to 1st January, 2006 and whose pension which has been revised in accordance with clause (ii) of sub-rule (2) of rule 11 of the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010, the full family pension in respect of the

family pensioners, shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st january 2006 which shall not be less than 30% of the pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn by the Judicial Officer at the time of retirement.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.